श्रीमती इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज,मीरजापुर।

स्नातक प्रवेश सम्बन्धी दिशा–निर्देश

(उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अर्न्तगत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तथा प्रवेश (सत्र 2022–23) सम्बन्धित सामान्य दिशा–निर्देश)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पत्रांक संख्याः कु0स0–2 सी0समिअ/रा0शि0नीति2020/10921/2021, दिनांक– 27.08.2021 के तहत तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों (बी0ए0 एवं बी.एस0सी0) में सी0 बी0 सी0 एस0 आधारित सेमेस्टर प्रणाली एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से (स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों पर) लागू होंगे। स्नातक /परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रम में सत्र 2020–21 तक जो छात्र किसी भी कक्षा में प्रवेश ले चुके हो उन पर उपाधि प्राप्त करने तक यह नियम लागू नहीं होंगे।

प्रवेश व्यवस्था :

1. अभ्यर्थी को स्नातक में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम महाविद्यालय में एक संकाय (भाषा, कला, समाजविज्ञान व मानविकी एवं विज्ञान) का चयन करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः निर्धारित अर्हतानुसार अपने वर्ग यथा – बायो/मैथ आदि का चयन करना होगा, जिसका आवंटन प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों, महाविद्यालय के उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा चयनित संकाय अभ्यर्थी का अपना संकाय (own faculty) होगा तथा अपने संकाय (own faculty) से उसे दो मुख्य विषयों (Major subjects) का चयन करना होगा। प्रवेश के पश्चात विद्यार्थी तीन वर्ष (प्रथम से छठवें सेमेस्टर) तक मुख्य विषयों का अध्ययन कर सकेगा।
3. तीसरे मुख्य विषय का चुनाव अभ्यर्थी किसी भी संकाय (अपने अथवा दूसरे संकाय) से कर सकता है, परन्तु विषय का चुनाव अर्हकारी परीक्षा के विषय, प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक, महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधन पर निर्भर होगा। कला संकाय के विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का गणित विषय तभी प्राप्त होगा जब उसने इण्टरमीडिएट की परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो एवं इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण विद्यार्थी को विज्ञान संकाय के मुख्य विषय चयन में वरीयता दी जायेगी।
4. तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण प्रश्नपत्र (Minor elective) का चयन कर अध्ययन करना होगा।
5. गौण प्रश्नपत्र (Minor elective) का चुनाव अभ्यर्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय) से कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी पूर्व पात्रता (Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु महाविद्यालय गौण प्रश्नपत्र (Minor elective) का आवंटन उपलब्ध सीटों व संसाधन के आधार पर ही करेगा अर्थात् शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण भूगोल, भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान से गौण प्रश्न–पत्र का चयन नहीं किया जायेगा।
6. स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम व द्वितीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर प्रश्नपत्र प्रतिवर्ष) लेना होगा। विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव प्रश्नपत्र का चयन कर सकता है।
7. बहु विषयकता (multy-displinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव प्रश्नपत्र प्रत्येक विद्यार्थी को किसी भी चौथे विषय (अभ्यर्थी द्वारा चयनित तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से चयनित करना होगा।
8. तीसरे मुख्य विषय (major subjects) तथा माइनर इलेक्टिव (Miner elective) प्रश्नपत्र का चयन अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय (own faculty) के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।

महाविद्यालय के संकाय, मुख्य विषय (**Major subject**) तथा सीटों की संख्या

(अ) भाषा संकाय – हिन्दी (60), अंग्रजी (60), संस्कृत (60)
(ब) मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय– समाजशास्त्र (60), भूगोल (60), राजनीतिक विज्ञान (60), मध्यकालीन इतिहास (60)
(स) विज्ञान संकाय – भौतिकी (60), रसायन (60), वनस्पति विज्ञान (60), जन्तु विज्ञान (60), गणित (60)

9. माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन संस्थान में संचालित विषयों के प्रश्नपत्रों से किया जायेगा। चयनित माइनर पेपर की कक्षाएं संकाय (faculty) में संचालित होंगी, तथा उसकी परीक्षा भी अलग से होगी।
10. माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का प्रश्न पत्र होगा न की पूर्ण विषय।
11. स्नातक में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों के प्रत्येक सेमेस्टर से (चारों सेमेस्टर) में 03 क्रेडिट के एक कौशल विकास/व्यवसायिक पाठ्यक्रम (3×4=12 क्रेडिट) का भी अध्ययन करना होगा।
12. सह पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। विद्यार्थी की ग्रेडशीट पर सह–पाठ्यक्रमों के ग्रेड तो अंकित होगें, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए.(C.G.P.A) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

लघु शोध परियोजना–

1. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष (पांचवें व छठवें सेमेस्टर) में लघु शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी।
2. लघु शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये किसी एक विषय से संम्बन्धित होगी।

पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश प्रक्रिया –

1. विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट (Certificate) के साथ तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास (Exit) की अनुमति होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक (Vocational) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
2. विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही स्नातक उपधि प्राप्त होगी ।
3. विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रवेश ले सकेगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

1. विद्यार्थी न्यनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक ले सकता है।
2. एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है तो उसके क्रेडिट उपयोग कर लिए माने जायेंगें, अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिए उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष में 92 (46–46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्ष के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर स्नातक उपाधि ले सकता है।
3. यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित से कम समय में स्नातक उपाधि के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु स्नातक उपाधि तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

4. द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे न कि डिप्लोमा की क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
5. यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा – 112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में ही स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला, मानविकी व समाज विज्ञान संकाय के ऐसे विषय आयेंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
6. यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा कर लेता है और आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।
7. स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन मुख्य विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in faculty प्रदान किया जा सकता है।
8. द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित क्रेडिट के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in faculty प्रदान किया जायेगा।
9. तृतीय वर्ष तक 132 संचित के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगें, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
10. प्रवेश निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी।
11. स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल–विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा, प्रथम वर्ष हेतु–

व्यवसायिक कोर्स (a) बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, (b) फोटोग्राफी

उपस्थिति एवं परीक्षा

1. क्रेडिट वेलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
2. परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. छात्र कक्ष में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता हो, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

अनिवार्य सहगामी पाठय्क्रम (co-curricular)

स्नातक स्तर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत होगा–

1. प्रथम सेमेस्टर : खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
2. द्वितीय सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
3. तृतीय सेमेस्टर : मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental studies)
4. चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
5. पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytical Ability and Digital Awareness)
6. षष्ठ सेमेस्टर : संचार, कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)

नोटः उपरोक्त निर्देशों/नियमों में विश्वविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में प्रवेश समिति द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रवेश सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के सायं 4 बजे के बाद किसी भी दशा में महाविद्यालय स्वीकार नहीं करेगा।
2. स्नातक कक्षा में इण्टरमीडिएट स्तर पर प्राप्त मेरिट के अनुसार किया जायेगा।
3. प्रवेश में शासन द्वारा अधिनियमित एवं स्वीकृत आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
4. स्नातक भाषा, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान (बी0ए0) में प्रवेश हेतु अधिकतम 420 सीटें है जबकि स्नातक विज्ञान (बी0एस–सी0) में गणित वर्ग तथा जीव विज्ञान वर्ग में क्रमशः प्रत्येक में अधिकतम 150 सीटें है।
5. प्रवेश समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही निर्धारित समय–सीमा **(11.00 बजे से 2.00 तक)** फीस काउण्टर पर शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश–समिति वरीयता सूची के अगले आवेदक को प्रवेश का अवसर दे सकेगी।
6. बी0ए0 प्रवेश में विषयों का आवंटन प्रवेश–समिति द्वारा निर्धारित विषय समुच्चय के अनुसार **'पहले आओ, पहले पाओ'** की विधि से होगा। विषय आवंटन के सम्बन्ध में प्रवेश समिति पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक अपने विवेकाधिकार प्रयुक्त कर सकेगी।
7. स्नातक प्रवेश में प्रवेश के वर्ष इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण वर्ष के मध्य दो वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। ऐसी दशा में शपथ पत्र विद्यार्थी को देना होगा।
8. बी0ए0 प्रथम वर्ष प्रवेश में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अनिवार्य अर्हता के पाठ्यक्रम में न्यूनतम 40% प्राप्तांक आवश्यक है, बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% प्राप्तांक आवश्यक है। साथ ही स्थान रिक्त होने पर प्रवेश हेतु समिति विचार कर सकती है।
9. **प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश–समिति द्वारा निर्धारित समस्त प्रपत्रों (मूल एवं छायाप्रति) सहित अभ्यर्थी को स्वयं समिति के समक्ष उपस्थित होना है। अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**

प्रवेश हेतु आवश्यक प्रपत्र

1. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
2. हाईस्कूल : अंकपत्र, प्रमाण पत्र।
3. इण्टरमीडिएट : अंकपत्र, प्रमाण पत्र।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. जाति प्रमाण पत्र (अद्यतन)
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) मूल प्रति।
7. चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति।
8. समस्त प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ स्वहस्ताक्षरित होनी चाहिए।